न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः–484/17 ((RCMS No. 2017/00515) 18 आयुध अधिनियम 1959)

विजय सिंह पुत्र पंचम सिंह जाति त्यागी निवासी राजपुर थाना कौलारी जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 12.09.2017

उपस्थितिः–

1. श्रीमती रचना सिनसिनवार वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

नि र्ण य **दिनांकः 28.02.2018**

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 12.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 39/80 दिनांक 31.12.15 तक नवीनीकृत था, जिसे आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट के विरूद्ध मु0 नं0 139/07 धारा 143, 323, 341, 447 आईपीसी दर्ज हुआ था जिसमें न्यायालय में चालान पेश हुआ है। इसलिये अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंषा की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को आर्म्स एक्ट के तहत नोटिस जारी किया जिसका अपीलान्ट ने जबाब पेश किया तथा कथन किया कि उक्त मुकदमे में दिनांक 04.01.2014 को दोषमुक्त हो चुका है। उक्त केस के अलावा अन्य कोई आपराधिक प्रकरण थाने व किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही है। अधीनस्थ न्यायालयय ने यह माना कि अपीलान्ट की भूमिका संदिग्ध रही है। संदिग्ध आचरण वाला व्यक्ति शस्त्र धारण हेतु पात्र नही है। पुलिस अधीक्षक व थानाधिकारी थाना कोलारी ने अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंषा की है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया तथा

अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट को जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र विधिवत् रूप से जारी किया गया था। अपीलान्ट ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र का कभी भी कोई दुरूपयोग नही किया है। अनुज्ञा पत्र की सम्पूर्ण शर्तों का पालन किया है तथा समय समय पर नवीनीकृत किया जाता रहा है। अपीलान्ट का तर्क है कि पुलिस अधीक्षक ने मुकदमा नं0 139/2007 का हवाला दिया है लेकिन अपीलान्ट को उक्त मुकदमे में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 04.01.2014 से दोषमुक्त कर दिया था। उक्त तत्य को नजर अन्दाज करके अधीनस्थ न्यायालय ने गलत आदेश पारित किया है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक 1142 दिनांक 15.02.16 के जबाब में पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने कोई भी तथ्यात्मक टिप्पणी अपीलान्ट के विरूद्ध पेश नही की है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट एक शान्ति प्रिय एवं भला व्यक्ति है। जिसने कभी भी अपने शस्त्र का दुरूपयोग नही किया है, न ही कभी भविष्य में दुरूपयोग करेगा। अपीलान्ट को अपनी आत्मरक्षा के लिये उक्त शस्त्र की अत्यन्त आवश्यकता है। उनका तर्क है कि न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उस पर कोई गौर नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा शस्त्र अनुज्ञा पत्र को आगामी अवधि के लिये नवीनीकृत किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि अपीलान्ट के विरूद्ध मु0 नं0 139/07 धारा 143, 323, 341, 447 आईपीसी दर्ज हुआ था जिसमें न्यायालय में चालान पेश हुआ है। जिला पुलिस अधीक्षक ने अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंषा की है। अपीलान्ट की भूमिका संदिग्ध रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने संदिग्ध आचरण वाला व्यक्ति शस्त्र धारण हेतु पात्र नही माना है, जो उचित है। पुलिस अधीक्षक व थानाधिकारी थाना कोलारी ने अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंषा की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह उचित है। उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 39/80 को नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.15 तक नवीनीकृत था। इस संबध में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने रिपोर्ट में अंकित किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध मु0 नं0 139/07 धारा 143, 323, 341, 447 आईपीसी दर्ज हुआ था जिसमें न्यायालय में चालान पेश हुआ है। इसलिये अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंषा की गई। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जबाब पेश कर कथन किया कि उक्त मुकदमे में दिनांक 04.01.2014 को दोषमुक्त हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट की भूमिका को संदिग्ध मानते हुऐ शस्त्र धारण करने का पात्र नही माना तथा अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया।

अपीलान्ट के विरूद्ध मु0 नं0 139/07 धारा 323, 341, 447, 34 आईपीसी का मुकदमा दर्ज हुआ था। अपीलान्ट ने नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र में उक्त मुकदमे का हवाला नही दिया है। अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र में तथ्यों को छिपाया है। उक्त मुकदमे का निर्णय दिनांक 04.01.2014 को हुआ था जिसमें अपीलान्ट को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया था। अपीलान्ट द्वारा आपराधिक तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अपीलान्ट के विरूद्ध मुकदमा दर्ज होने से अपीलान्ट की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण नही करने की अभिशंषा की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश करने एवं अपीलान्ट की सदिग्ध भूमिका को देखते हुऐ जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.09.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official